माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
(Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer)

विवरणिका
(SYLLABUS)

विवरणिका
(SYLLABUS)

कक्षा 10 परीक्षा, 2025 (संशोधित) **w.e.f. 11-02-2025**

Class-10 Examination, 2025 (**Amended**) **w.e.f. 11-02-2025**

(परीक्षा पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 के लिए मान्य है)

कक्षा–10 (माध्यमिक) परीक्षा–2025 के लिए आवश्यक निर्देश

1. विवरणिका के इस भाग में कक्षा–10 (माध्यमिक) परीक्षा, 2025 का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, जो शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये हैं, दी गई हैं।
2. कक्षा–10 (माध्यमिक) परीक्षा के लिये निर्धारित अवधि एक वर्ष है।
3. माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा योजना आदि सम्बन्धित विनियमों में दिए गए अनुसार होंगी।
4. विषयों के शिक्षणार्थ प्रति सप्ताह निर्धारित कालांश :

क्र.सं.	विषय	कालांश : 48
1.	भाषाएँ :	
	(1) हिन्दी	6
	(2) अंग्रेजी	6
	(3) तृतीय भाषा	5
2.	विज्ञान	8
3.	सामाजिक विज्ञान	8
4.	गणित	8
5.	राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति	2
6.	सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा–II	2
7.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (खेल प्रवृत्तियां '0' कालांश)	2
8.	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (2) कला शिक्षा	1

9. व्यावसायिक शिक्षा (अतिरिक्त वैकल्पिक विषय) कोई एक
   (i) ऑटोमोटिव (101) (ii) सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)
   (iii) हेल्थ केयर (103)
   (iv) सूचना प्रौद्योगिकी (IT) /सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएें (ITes) (104)
   (v) फुटकर बिक्री (105) (vi) Tourism and Hospitality (106)
   (vii) निजी सुरक्षा (107) (viii) परिधान निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा (108)
   (ix) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर (109) (x) कृषि (110) (xi) प्लम्बर (111)
   (xii) टेलीकॉम (112) (xiii) बैंकिग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)
   (xiv) कन्स्ट्रंक्शन (114) (xv) फूड प्रोसेसिंग (115)

   नोटः–जिन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है उनमें कालाश भार निम्नानुसार रहेगा।

5.	राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति	1
6.	सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा–II	1
7.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (खेल प्रवृत्तियां '0' कालांश)	1
8.	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (2) कला शिक्षा	1
9.	व्यावसायिक शिक्षा (अतिरिक्त वैकल्पिक विषय) कोई एक	3

10. नैतिक शिक्षा : प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित
11. पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान–प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में

कक्षा 10 (माध्यमिक) परीक्षा–2025 के लिए परीक्षा योजना **w.e.f.** 11.02.2025

विषय एवं विषय कोड संख्या	प्रश्न पत्र	समय (घंटे)	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रयोगिक परीक्षा	सत्रांक का विभाजन						कुल सत्रांक	योग	उत्तीर्णांक
					स्थानीय परीक्षा %	प्रोजेक्ट	वृक्षारोपण	उपस्थिति	सद्व्यवहार	वृक्षारोपण			
हिन्दी अनिवार्य (01)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
अंग्रेजी अनिवार्य (02)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
तृतीय भाषाः ;कोई एक संस्कृत(71) / उर्दू(72) / गुजराती (73) / सिन्धी (74) / पंजाबी(75)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
विज्ञान (07)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	4	1	3	1	1	20	100	33
समाजिक विज्ञान (08)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
गणित (09)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
व्यावसायिक शिक्षा (कोई एक विषय) (केवल चयनित विद्यालयों में लागू)	सैद्धान्तिक	3:15	30		10	5	0	3	2	0	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00		50								50	17
राज. इति. एवं संस्कृति(79) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80			20					20	100	33
शा. एव. स्वा. शिक्षा (82) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5		3	2		20	100	33
सूचना प्रोद्योगिकी की अवधारणा–II (80) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	70									70	33
	प्रायोगिक			30								30	
समाजोपयोगी उत्पा. कार्य एवं समाज सेवा (81) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	अनिवार्य प्रवृत्ति 25 वैकल्पिक प्रवृत्ति 45 शिविर 30			100		1. इन विषयों का अंक तालिका में ग्रेडिंग का अंकन होगा। 2. नियमित छात्रों के लिए अनिवार्य अर्हता कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र उपस्थिति पत्र के साथ ही शाला प्रधान द्वारा बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।							
कला शिक्षा	सैद्धांतिक 35 प्रयोगिक 45 प्रस्तुति कार्य 20			100									

कक्षा 10 अंक विभाजन **w.e.f.** 11.02.2025

परीक्षा का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	सामा.विज्ञान	संस्कृत	विज्ञान
प्रथम परख	10	10	10	10	10	10
द्वितीय परख	10	10	10	10	10	10
अर्द्धवार्षिक परीक्षा	70	70	70	70	70	70
तृतीय परख	10	10	10	10	10	10
वार्षिक परीक्षा	80	80	80	80	80	80
वृक्षारोपण	1	1	1	1	1	2
प्रोजेक्ट	5	5	5	5	5	4
सद्व्यवहार	1	1	1	1	1	1
उपस्थिति	3	3	3	3	3	3
योग	200	200	200	200	200	200

नोट :–

1. सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालयों द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किये जायेंगे।
2. सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णाक के 20% होगें अर्थात पूर्णाक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा– नियमित विद्यार्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के लिए 10 अंक, 5 अंक प्रोजेक्ट

कार्य (केवल विज्ञान के लिए 4 अंक प्रोजेक्ट के एवं 1 अंक वृक्षारोपण का रहेगा), 3 अंक उपस्थिति, 1 अंक सद्‌व्यवहार तथा 1 अंक वृक्षारोपण (मुख्य 6 विषयों में) के होंगे।

(i) उपस्थिति पर अंक निम्नानुसार दिये जा सकेंगेः–

75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक

81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक

86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक

(ii) 1 अंक कक्षा में सद्‌व्यवहार का देय होगा तथा 1 अंक वृक्षारोपण का देय होगा (मुख्य 6 विषयों में)।

(iii) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णाक में परिवर्तित करें।

(iv) सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांको के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।

(v)स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के लिए अंकतालिका में विषयवार प्राप्तांक के 20% अंक पूर्णाक में परिवर्तित कर सत्रांक के रूप में दर्शाए जाएंगे।

3. स्वंयपाठी अभ्यर्थी समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W.), कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा–II विषयों सें मुक्त रहेंगे।
4. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा–II तथा शारीरिक एवं स्थास्थ शिक्षा में अर्द्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णाक 100 में से विद्यालय बोर्ड को प्राप्तांक प्रेषित करेंगे। इन अंको का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रदत अंकतालिकाओं में कर दिया जायेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
5. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा–II हेतु राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों का अवलोकन करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।
6. 'राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति' विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किये हों, तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।
7. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। इस विषय के प्राप्तांको को ग्रेड में परिवर्तित कर बोर्ड को प्रेषित करेंगे। विद्यालयों द्वारा प्रेषित ग्रेड को अंकतालिका में दर्शाया जायेगा।
8. मूक बधिर विद्यार्थियों को तृतीय भाषा की छूट रहेगी। यह छूट नियमित एवं स्पयंपाठी के लिए लागू रहेगी।

नोट :– **कक्षा– 10 व्यावसायिक शिक्षा– अतिरिक्त वैकल्पिक विषय की परीक्षा योजना केवल चयनित विद्यालयों में लागू हैं।**

(i) सैद्धान्तिक परीक्षा (सत्रांक सहित) तथा प्रायोगिक परीक्षा में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) यदि व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्राप्तांक सामाजिक विज्ञान विषय के प्राप्तांक से अधिक है और परीक्षार्थी ने इन दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को 6 विषयों में शामिल करते हुए परिणाम जारी किया जाएगा।

(iii) व्यावसायिक ट्रेड विषयों का पाठ्‌यक्रम एवं पाठ्‌यपुस्तकें एवं अद्यतन निर्देश/नियम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी किये जाते हैं जिनके अनुसार कार्यवाही की जाए।